"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 632] रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2014—— अग्रहायण 24, शक 1936

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 (अग्रहायण 24, 1936)

क्रमांक-12134/वि.स./विधान/2014. —— छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 20 सन् 2014) जो सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 20 सन् 2014)

अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014

अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (क्र. 15 सन् 2013) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 12 का संशोधन.

2. अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (क्र. 15 सन् 2013) की धारा 12 की उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"(4) निदेशक का पद मृत्यु, पदत्याग, अवकाश, रूग्णता के कारण या अन्यथा रिक्त होने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, धारा 20 के अधीन नियुक्त निदेशक के उसके पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक, बोर्ड, अपने किसी सदस्य को निदेशक के कृत्य सौंप सकेगा :

परन्तु यह कि बोर्ड ऐसे सदस्य की परिलब्धियां और भत्ते निर्णीत कर सकेगा :

परन्तु यह और कि इस उप-धारा में अनुध्यात की गई व्यवस्था, छ: माह से अधिक की कालावधि के लिये निरंतर नहीं रहेगी."

निरसन.

3. अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्र. 4 सन् 2014) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत: आईआईआईटी नया रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2015 से कार्य करना प्रारंभ किया जाना है और उस प्रयोजन के लिये निदेशक की अध्यक्षता में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाना है जो कि निदेशक के अभाव में संभव नहीं है. यद्यपि प्रावधान, विद्यमान है किन्तु निदेशक की नियुक्ति में कुछ समय लग सकता है.

अतएव, विभिन्न प्राधिकारियों के कृत्य में उद्भूत कठिनाईयों को दूर करने के लिये, विद्यमान प्रावधान में संशोधन की आवश्यकता है ताकि निदेशक की रिक्ति को उस समय तक अर्थात् अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निदेशक की नियुक्ति तक, भरा जा सके.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 9 दिसम्बर, 2014

प्रेमप्रकाश पाण्डेय
तकनीकी शिक्षा मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2014 बनाये जाने की आवश्यकता

आईआईआईटी-नया रायपुर के निदेशक की नियुक्ति हेतु माननीय कुलाधिपति द्वारा खोज समिति गठित कर दी गई है तथा नियुक्ति में कुछ समय लगना अपेक्षित है. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिये गये भाषण में आईआईआईटी को सत्र 2015 से आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है जिस हेतु विश्वविद्यालय के निदेशक की अध्यक्षता में गठित विभिन्न प्राधिकारियों, यथा सीनेट एवं वित्त समिति, द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है, जो निदेशक के अभाव में संभव नहीं है. आईआईआईटी के अधिनियम में वर्तमान में निदेशक पद की रिक्ति की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कोई उपबंध नहीं है.

2. अत: अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (क्रमांक 15 सन् 2013) की धारा 12 की उपधारा (3) के पश्चात् निदेशक की मृत्यु, पदत्याग, अवकाश, रूग्णता या अन्य कारण से, पद रिक्त होने की दशा में, वैकल्पिक व्यवस्था का उपबंध करने हेतु उपधारा (4) अत:स्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

3. वर्तमान में राज्य की विधान सभा सत्र में न होने कारण कण्डिका 1 में उल्लेखित परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि प्रस्तावित उपबंध अनुरूप व्यवस्था अध्यादेश के द्वारा की जाए.

उपाबंध

अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (क्रमांक 15 सन् 2013) की धारा 12-बोर्ड की शक्तियां और कार्य का सुसंगत उद्धरण

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 12-बोर्ड की शक्तियां और कार्य

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, बोर्ड, संस्थान के कार्यों के सामान्य अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा तथा संस्थान की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों अथवा विनियमों के द्वारा उपबंधित से अन्यथा न हो और उसके पास वित्त समिति तथा भवन एवं कार्य समिति के कार्यों की समीक्षा करने की शक्ति होगी.

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

(क) संस्थान के प्रशासन और कार्यप्रणाली से संबंधित नीति विषयक प्रश्नों पर निर्णय लेना ;

(ख) सीनेट की अनुशंसा पर अध्ययन के पाठ्यक्रमों का संस्थापन ;

(ग) प्रथम परिनियम से भिन्न परिनियमों का निर्माण ;

(घ) संस्थान में अकादमिक के साथ-साथ अन्य पदों का सृजन करना और उन पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना और वित्तीय स्त्रोतों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए, कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों की वेतन संरचना तथा निबंधनों एवं शर्तों को निर्धारित करना ;

(ङ) अध्यादेशों या विनियमों का निर्माण, उपांतरण अथवा निरस्त करना ;

(च) सीनेट या भवन एवं कार्य समिति, यथास्थिति, की अनुशंसा पर, संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदनों और विकास योजनाओं पर विचार करना एवं अनुमोदित करना ;

(छ) वित्त समिति द्वारा यथा अनुशंसित, आगामी वित्त वर्ष के लिए संस्थान के वार्षिक लेखाओं तथा बजट अनुमान पर विचार करना तथा अनुमोदन करना ;

(ज) भवन तथा कार्य समिति द्वारा यथा अनुशंसित सभी अधोसंरचना संबंधी कार्य, सभी गौण मूल कार्य तथा सम्पदा के संधारण संबंधी कार्यों का प्रशासनिक अनुमोदन करना ;

(झ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना, जैसा कि इस अधिनियम या परिनियम द्वारा उसे प्रदत्त किया जाये या उस पर अधिरोपित किया जाए.

(3) बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, ऐसी अन्य समितियों की नियुक्ति करने की शक्तियां होंगी, जैसा कि वह आवश्यक समझे :

परंतु इस उप-धारा के अधीन नियुक्त ऐसी किसी भी समिति को ऐसी शक्तियां एवं कृत्य नहीं सौंपे जाएंगे जो सीनेट, वित्त समिति तथा भवन एवं कार्य समिति के प्रतिकूल हों.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा,
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.